



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173299

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 111/2005

द ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लि.

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राजकुमार एवं अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सुशील कुमार मेहरोत्रा, एस.के. मेहरोत्रा

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : दीप चन्द सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1- अपीलकर्ता-बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. मेहरोत्रा उपस्थित हैं। तथापि, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

2- यह अपील अपीलकर्ता-बीमा कंपनी की ओर से दिनांक 8.10.2004 को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, देवरिया द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 77 सन् 2002 (राजकुमार एवं अन्य बनाम श्री रामनक्षत्र एवं अन्य) में पारित आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय को अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है, जिसके द्वारा दावेदारों को 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित रु.1,52,000/- की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है।

3- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दुर्घटनाकारक ट्रैक्टर और उसके चालक की संलिप्तता के संबंध में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 04.02.2002 को हुई दुर्घटना के संबंध में वृधि चंद यादव द्वारा धारा 279 और 304-ए भा.द.सं. के अधीन मुकदमा अपराध संख्या 45 सन् 2002 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, सूचनाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसका भतीजा नागेंद्र अपने



विद्यालय की ओर जा रहा था, जब ट्रैक्टर संख्या पी.बी. 12-ए/9156, जिसे तेज एवं लापरवाही से चलाया जा रहा था, ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सूचनाकर्ता ने ट्रैक्टर के चालक के रूप में रमेश का स्पष्ट रूप से नाम लिया था। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचना की गई और रमेश के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उपर्युक्त साक्ष्य चालक की पहचान के संबंध में गंभीर विरोधाभास उत्पन्न करता है। दावा कार्यवाहियों के दौरान, ट्रैक्टर का स्वामी उपस्थित हुआ और उसने अपने लिखित कथन में विशिष्ट रूप से यह पक्ष लिया कि दुर्घटना के समय रमेश नहीं, बल्कि गोपाल ट्रैक्टर चला रहा था। स्वामी ने गोपाल का ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा भरोसा किया गया।

4- अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण केवल इस कारण गोपाल के ड्राइविंग लाइसेंस पर भरोसा नहीं कर सकता था कि उसे स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उक्त दस्तावेज यह स्थापित कर सकता है कि गोपाल के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, किन्तु वह स्वयं इस बात को स्थापित नहीं करता कि दुर्घटना के समय वास्तव में गोपाल ही ट्रैक्टर चला रहा था। समकालीन प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप-पत्र, जिनमें रमेश को चालक के रूप में स्पष्ट रूप से नामित किया गया था, स्वामी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष बाद में किए गए इस कथन का महत्वपूर्ण रूप से खंडन करते हैं कि गोपाल ट्रैक्टर चला रहा था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दावेदारों के लिए विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा दुर्घटनाकारक वाहन की संलिप्तता और दुर्घटना की परिस्थितियों को स्थापित करना आवश्यक था। चालक की पहचान के संबंध में विरोधाभास प्रकरण की जड़ तक जाता है, विशेष रूप से तब, जब रमेश के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ाई गई थी, जबकि न्यायाधिकरण के समक्ष स्वामी ने गोपाल को चालक के रूप में प्रस्तुत किया।

5- अतः, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान न्यायाधिकरण इस महत्वपूर्ण विरोधाभास का समुचित मूल्यांकन करने में विफल रहा और स्वामी द्वारा बाद में अपनाए गए कथन को गलत रूप से स्वीकार कर लिया। इसलिए, यह निष्कर्ष कि दुर्घटना संबंधित ट्रैक्टर के कारण उसके चालक की लापरवाही से हुई थी, अपास्त किए जाने योग्य है। परिणामतः, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के विरुद्ध पारित अधिनिर्णय भी अपास्त किए जाने योग्य है। अंततः यह प्रस्तुत किया गया कि यदि ट्रैक्टर की संलिप्तता स्वीकार की जाती है, तो संबंधित समय पर ट्रैक्टर कौन चला रहा था



और क्या ऐसे व्यक्ति के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किए बिना बीमा कंपनी का दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

6- मैंने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है।

7- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया पहला प्रश्न दुर्घटनाकारक ट्रैक्टर के चालक की पहचान से संबंधित है। यह सत्य है कि मुकदमा अपराध संख्या 45 सन् 2002 में मृतक नागेंद्र के चाचा वृद्धि चंद यादव द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि दुर्घटना ट्रैक्टर संख्या पी.बी. 12-ए/9156 को तेज एवं लापरवाही से चलाए जाने के कारण हुई थी और उसका चालक रमेश था। तत्पश्चात् रमेश के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

8- तथापि, प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनाकर्ता द्वारा रमेश का नाम लिए जाने के तथ्य की जाँच उसके स्वयं के कथन और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के आलोक में की जानी है। सूचनाकर्ता मृतक का चाचा था। उसने लिखित रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित था या उसने स्वयं दुर्घटना देखी थी। उसने यह भी नहीं कहा है कि चालक को घटनास्थल पर पकड़ लिया गया था। बल्कि, लिखित रिपोर्ट में घटना के अन्य व्यक्तियों को साक्षी के रूप में संदर्भित किया गया है। यह परिस्थिति इंगित करती है कि सूचनाकर्ता स्वयं दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित चालक का नाम घटनास्थल पर उसके व्यक्तिगत अवलोकन पर आधारित नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि उसे न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया था।

9- लिखित रिपोर्ट में साक्षी के रूप में नामित व्यक्तियों में से मदन प्रसाद चौहान का परीक्षण किया गया। चालक की पहचान के प्रश्न पर उसका कथन भी सीमित सहायता प्रदान करता है। उसने केवल यह कहा कि दुर्घटना दुर्घटनाकारक वाहन को तेज एवं लापरवाही से चलाए जाने के कारण हुई। उसने न तो चालक का नाम बताया और न ही यह कहा कि चालक को घटनास्थल पर पकड़ लिया गया था। अतः, अभिलेख पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य नहीं है, जो यह स्थापित करता हो कि संबंधित समय पर रमेश ट्रैक्टर चला रहा था। रमेश के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने का तथ्य अपने आप में इस मुद्दे का निष्कर्ष नहीं कर सकता। आरोप-पत्र उसमें कथित तथ्यों का सारभूत साक्ष्य नहीं है। अधिक से अधिक, अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा



समर्थित होने पर यह संपुष्टिकारक सामग्री प्रदान कर सकता है। आपराधिक विवेचना और विवेचना अभिकरण द्वारा निकाला गया निष्कर्ष दावों के न्यायाधिकरण के समक्ष अपेक्षित साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता।

10- इसी समय, स्वामी द्वारा यह कहते हुए लिखित कथन दाखिल करना कि गोपाल ट्रैक्टर चला रहा था, अपने आप में उस तथ्य का निर्णायक प्रमाण स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वामी को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा अपने कथन को स्थापित करना था। उसके द्वारा प्रस्तुत गोपाल का ड्राइविंग लाइसेंस, अधिक से अधिक, यह स्थापित करता है कि गोपाल के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। यह अपने आप में यह स्थापित नहीं करता कि दुर्घटना के समय वास्तव में गोपाल ट्रैक्टर चला रहा था। अतः, केवल यह तथ्य कि स्वामी ने बाद में रमेश के स्थान पर गोपाल को चालक होने का दावा किया, केवल उस आधार पर दावे को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी प्रकार, रमेश के विरुद्ध आरोप-पत्र भी अपने आप में निर्णायक रूप से यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि रमेश चालक था।

11- ऐसे आधार को स्थापित करने का भार, जो बीमा कंपनी को दायित्व से उन्मोचित कर दे, अपीलकर्ता पर था। यदि बीमा कंपनी यह स्थापित करना चाहती थी कि वास्तव में रमेश चालक था और इस प्रकार स्वामी द्वारा लिए गए पक्ष को चुनौती देना चाहती थी, तो वह उस संबंध में कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती थी। ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है। ऐसे साक्ष्य के अभाव में चालक के नाम के संबंध में विसंगति को दावेदारों के दावे को विफल करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

12- अतः, यद्यपि चालक की पहचान से संबंधित साक्ष्य कुछ विसंगतियों से मुक्त नहीं है, तथापि, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, यह विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय में हस्तक्षेप को न्यायोचित नहीं ठहराती है।

13- उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, अपील निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार- X)

17 अगस्त, 2026

एस.के.